

///आदेश///

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (फाइनेन्स विंग) पत्र संख्या 36/1/86-2021/फाइनेन्स/सी0सु0बल/339-640 दिनांक 11 जनवरी 2021 के तहत सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को मिली वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन बुकलेट परिशिष्ट 'बी' की मद संख्या 1 (i) के द्वारा महानिरीक्षक सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, मिजोरम एवं कछार, को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के SWP No. 76 of 2004 titled by Ex-CT Mukesh Kumar Vs UOI & ORs before Hon'ble High Court of J&K at Jammu की पैरवी करने के लिए भुगतान हेतु Sh Vikash Sharma, Advocate, Sr. Central Govt. Standing Counsel, High Court of J&K (Jammu) द्वारा प्रेषित लीगल चार्ज बिल संख्या 07/22 दिनांक 30.09.2022 रुपये 9,900/- (रुपये नौ हजार नौ सौ) मात्र का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह खर्च, मुख्य शीर्ष 2055 राजस्व के उप-शीर्ष 00.105 डी जी सीमा सुरक्षा बल के आब्जेक्ट शीर्ष 01.03.28 प्रोफेशनल सर्विसेस (Professional Services) जो कि ग्रान्ट संख्या-51-पुलिस के आधीन है, 01 वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के प्रोफेशनल सर्विसेस (Professional Services) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित किए गए बजट में से वहन किया जायेगा।

संख्या -विधि/सी.मु.मि.क./सीसुबल/लीगल बिल/2022/5466-70  
दिनांक 21 दिसम्बर 2022

  
(कुलदीप कुमार विश्वकर्मा)  
विधि अधिकारी/सहा0 कमाण्डेंट  
सीमांत मुख्यालय, मिजोरम एवं कछार

प्रतिलिपि:-

1. RPAO, Shillong : कृपया आपके सूचनार्थ हेतु।
2. लेखा शाखा, एम एन्ड सी : कृपया वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।  
फंटियर।
3. क्षेत्रीय मुख्यालय सी.सु.बल : कृपया आपके मुख्यालय के पत्र संख्या 17364-65  
सिलचर। दिनांक 05.12.2022 के तहत सूचनार्थ।
4. 01 वीं वाहिनी, सी.सु.बल। : कृपया क्षेत्रीय मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, सिलचर के  
पत्र संख्या 17364-65 दिनांक 05.12.2022 के तहत प्राप्त लीगल चार्ज बिल को सक्षम अधिकारी की  
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इस आदेश के साथ संलग्न कर आपकी वाहिनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।
5. संचार शाखा, एम एन्ड सी : कृपया इस शाखा के पत्रांक सं0 412-35 दिनांक 21  
फंटियर। जून 2018 के तहत, सूचनार्थ एवं वेबसाइट में अपडेट करने हेतु।
6. हिन्दी गार्ड फाईल।
7. फाईल।

1008  
23/12/22